राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

ब्लॉक नं0–4, शिक्षा संकुल, जयपुर–302015
Email- cao.cce@rajasthan.gov.in Ph – 0141-2703897

क्रमांक : एफ 25(जे)(1)(यूजीसी) लेखा/आकाशि/वेतन निर्धारण/2021/3723 दिनांक 23/06/2021

प्राचार्य/कार्यालयाध्यक्ष
समस्त राजकीय महाविद्यालय
राजस्थान, जयपुर

विषय :– राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों, लाईब्रेरियन एवं पी.टी.आई. के संशोधित वेतन नियतन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– वित्त विभाग के नोटिफिकेशन F.14(1) FD/Rules/2009 दिनांक 10.05.2021 ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित वित्त विभाग के नोटिफिकेशन F.14(1) FD/Rules/2009 दिनांक 10.05.2021 के द्वारा Rajasthan civil Service (Revised Pay for Government College Teacher including librarians and PTIs)(Amendment) Rules, 2009 के नियम 4(4) में निम्नानुसार संशोधन किया गया है " In case where a Government Servant opts revised pay scale with effect from 01-01-2006 and whose annual grade increment falls between 2nd January, 2006 to 30th june 2006 (both days inclusive) shall be granted one increment in the existing pay scale on 01.01.2006."

उपर्युक्त नोटिफिकेशन के अनुसार समस्त महाविद्यालयो में कार्यरत Teacher including librarians and PTIs को पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2009 के अन्तर्गत, यदि पूर्व में कार्मिक की Existing वेतन वृद्धि दिनांक 02.01.2006 से 30.06.2006 के मध्य आती है, तो संशोधित वेतन नियतन से पूर्व Existing Pay Scale में एक वेतन वृद्धि का लाभ देय है। उक्त संशोधित वेतन नियतन उपरान्त दिनांक 01.01.2006 से 30.06.2013 तक के मध्य हुये उक्त वेतन संशोधन का कोई एरियर का भुगतान देय नहीं होगा। अतः उपर्युक्त नोटिफिकेशन के कम में ऐसे कार्मिक जिनकी वेतन वृद्धि दिनांक 02.01.06 से दिनांक 30.06.06 के मध्य है, ऐसे कार्मिकों के द्वारा संदर्भित नोटिफिकेशन में उल्लेखित अवधि में (नोटिफिकेशन जारी होने की दिनांक से तीन माह की अवधि में) विकल्प प्रस्तुत करने पर 6वे वेतनमान में वेतन संशोधन की कार्यवाही महाविद्यालय में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारी के माध्यम से उपरोक्त नोटिफिकेशन के अनुसार जांच करवायी जाकर वेतन नियतन की कार्यवाही पूर्ण की जावे। इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 3721–22 दिनांक 22.06.2021 को निरस्त समझा जावे।

22/06.

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान
जयपुर

क्रमांक : एफ 25(जे)(1)(यूजीसी) लेखा/आकाशि/वेतन निर्धारण/2021/3724 दिनांक 23/06/2021
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक (प्रशासन/एच.आर.डी.) कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. वेबसाईट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
5. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान
जयपुर